न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/47

1. रामकुंवर पुत्र गोपाल पत्नी रामकरण जाति माली निवासी मकान नम्बर 09 गली नम्बर 05 वार्ड नम्बर 10 उर्दुपुरा रसि गली उज्जैन (म0प्र0) ।
2. तुलसी बाई पुत्री गोपाल जी पत्नी चतुर्भुज जाति माली निवासी मकान नम्बर 13, गली नम्बर 1, महेश नगर हनुमान मंदिर के पास सैलाना रोड रतलाम (म0 प्र0) ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गालाल उर्फ राजेन्द्र आत्मज गोपाल जाति माली निवासी गली नम्बर 03, कमल कॉलोनी, उज्जैन (म0 प्र0) ।
2. पार्वती बाई पुत्री गोपाल जी पत्नी बाबूलाल जी जाति माली निवासी ग्राम तीरथ मालियों के मंदिर के पास तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. गीता बाई पुत्री गोपाल जी बेवा नन्दकिशोर जाति माली निवासी गुर्जरों का मोहल्ला कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. रूकमणी बाई पुत्री गोपाल जी बेवा संतोष किरोडीवाल जाति माली निवासी चांदमारी ईट का भट्टा सेंट पॉल स्कूल के पास जिला अस्पताल के सामने धार रोड, इन्दौर ।
5. उप पंजीयक, के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहीसलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 21.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (रिसीवर नियुक्त करने) का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चरडाना तहसील के0 पाटन में खसरा नम्बर 812 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1802 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.61 हैक्टर भूमि स्थित

है । इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.92 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 1.04 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमियॉ गोपाल आत्मज देव्या के खातेदारी में दर्ज थी । गोपाल के दो पत्नियॉ थी विवाहिता पत्नी कंचन थी जिसके दो पुत्रियॉ हुईं व दूसरी पत्नी नाताशुदा थी जिसके चार संतानें अप्रार्थी क्रम 1 से 4 हुई । गोपाल की दोनों पत्नियों की मृत्यु हो चुकी है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 2/6 भाग व अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 4/6 भाग हिस्सा बनता है । वैधानिक रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 से 4 उक्त वादग्रस्त आराजी के संयुक्त रूप से सहखातेदार दर्ज हैं । गोपाल की मृत्यु के बाद अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4 का ससुराल में रहने का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त भूमि का फौती इंतकाल मात्र अपने व अपनी माता पाना के नाम खुलवा लिया था । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि को अपने नाम खाते में दर्ज होने से अन्य व्यक्ति को बेचान करने, खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थी क्रम 1 ने रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार, के0 पाटन या नायब तहसीलदार कापरेन को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.12.2015 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट मृतक गोपाल जी की पुत्रियॉ हैं उनका वादग्रस्त आराजी में 2/6 हिस्सा है जिसे वह प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्टगण के हितों को सुरक्षित रखने हेतु वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सनुवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अपीलान्ट मृतक गोपाल जी की जायन्दा पुत्रियॉ हैं जो उनकी आराजी में 2/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर अवलोकन

किये बिना ही निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के हितों का सुरक्षित नहीं रखा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का कब्जा है । वादग्रस्त आराजी इनमिडियो नहीं है । रिसीवर की आड में अप्रार्थीगण को उसके कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थीगण अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थना की । वादग्रस्त आराजी पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खाते में है । गोपाल की पुत्री होने के नाते प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का हित निहित होना पाया जाता है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार एवं काबिज व्यक्ति को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । रिसीवर एक कठोरतम व्याधि है जिसे आसानी से लागू नहीं किया जाना चाहिए । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 87/2014 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को प्रार्थीगण के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जा चुका है जो विधि–सम्मत है । वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.1.19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा